



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 23.01.2024

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सतेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 22.01.2024 को अभियुक्त गोपाल निवासी ग्राम उलियापुर (बलीपुर भगवन्त) थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को 01 तमंचा(अधिया) व 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।



घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 22.01.2024 को थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त गोपाल पुत्र शिवदत्त यादव निवासी ग्राम उलियापुर (बलीपुर भगवन्त) थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को 01 तमंचा(अधिया) व 03 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गोपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 013/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

गोपाल पुत्र शिवदत्त यादव निवासी ग्राम उलियापुर (बलीपुर भगवन्त) थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त गोपाल ने बताया कि मेरी गांव में व क्षेत्र में कई लोगों से रंजिश चलती रहती है, इसलिए उनको धमकाने व अपने बचाव के लिए अधिया व कारतूस अपने पास रखता हूं।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा(अधिया) 12 बोर।
2. 03 कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गोपाल उपरोक्त -:-

1. मु0अ0सं0 13/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 288/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह
3. हे0का0 रामजीत
4. का0 महकार सिंह
5. का0 गौरव।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०-23.01.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अतुल पुत्र श्री रामबाबू निवासी प्रतिपालपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई मु०अ०सं०-477/2015 वाद सं-74/2015 धारा- 363,366,376 भा०द०वि० व ¼ पाक्सो एक्ट कोतवाली फरुखाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 23.01.2024 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभि० को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रदीप सिंह



एडीजीसी श्री अनुज कटियार



कोर्ट मोहरीर म०का० स्वाती



पैरोकार उ०नि० अरविन्द



